

राजस्थान सरकार,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ.श्रीडूंगरगढ़/एसीबी.प्रकरण/2017/

जयपुर,दिनांक:

4523

4/12/17

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 4326 दिनांक 17.11.2017 द्वारा श्री महावीर प्रसाद शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) को निलम्बित किया जाकर, निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय जिला परिषद चुरू किया गया था, के स्थान पर अब निलम्बन काल के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला परिषद बीकानेर किया जाता है।

आज्ञा से,

Ym
(पूर्णम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक—प्रथम, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चुरू।
7. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बीकानेर, चुरू
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
9. श्री महावीर प्रसाद शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी (निलम्बित), पं.स. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) हॉल जिला परिषद चुरू।
10. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Ym
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त